श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीमित व्यक्ति के आश्रितों के कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के बच्चों को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 22 मेडिकल कॉलेजों में 783 सीटें आवंटित की गईं

आईपी प्रमाणपत्र (बीमित व्यक्ति) के आश्रित/संतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल 21 जून, 2026 को बंद हो जाएगा

Posted On: 05 JUN 2026 12:08PM by PIB Delhi

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीमित व्यक्ति के आश्रित (आईपी के आश्रित) कोटा के तहत स्नातक चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रवेश अवसर विशेष रूप से कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के आश्रित बच्चों के लिए उपलब्ध है और यह देश भर में बीमित श्रमिकों के परिवारों को सार्थक सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक लाभ प्रदान करने के प्रति ईएसआईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे के तहत कुल 783 सीटें अस्थायी रूप से निर्धारित की गई हैं, जिनमें 22 चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग संस्थानों में 695 एमबीबीएस सीटें, 28 बीडीएस सीटें और 60 बीएससी नर्सिंग सीटें शामिल हैं। इनमें विभिन्न राज्यों में स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और कुछ राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जहां बीमित व्यक्तियों के पात्र आश्रितों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा संचालित केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी।

श्रमिक परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित छात्रवृत्ति योजना, श्रमिक बीमा संस्थान (ईएसआईसी) की प्रमुख कल्याणकारी पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना है। यह योजना पात्र छात्रों को अत्यधिक रियायती शुल्क पर व्यावसायिक चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस छात्रवृत्ति के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए केवल 24 हजार रुपये और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के

लिए 10 हजार रुपये का वार्षिक शुल्क देना होता है, जिससे ईएसआई योजना के लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुलभ और किफायती हो जाती है। इस छात्रवृत्ति के तहत प्रवेश के लिए कोई प्रति व्यक्ति शुल्क या दान स्वीकार नहीं किया जाता है।

पात्रता के लिए, अभिभावक का ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बीमित व्यक्ति होना और 30 सितंबर 2025 तक ईएसआई योजना में सक्रिय अंशदाता होना अनिवार्य है। आवेदक बीमित व्यक्ति का आश्रित बच्चा होना चाहिए, उसने नीट (यूजी) 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की हो और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। पुरुष उम्मीदवारों की आयु 8 मार्च 2026 को 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार बीमित व्यक्तियों की आश्रित अविवाहित महिला आश्रितों पर आयु सीमा लागू नहीं होती है।

पात्र उम्मीदवारों को ईएसआईसी द्वारा जारी वैध आईपी वार्ड प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, जो प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आवेदकों को निर्धारित विवरण जमा करने और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिनमें फोटो, आयु प्रमाण पत्र, नीट (यूजी) 2026 प्रवेश पत्र और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र (जहां लागू हो) शामिल हैं।

(बीमित व्यक्ति) के आश्रित/संतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि बीमित व्यक्ति का मोबाइल नंबर ईएसआईसी डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज हो, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण शामिल है। आईपी सर्टिफिकेट (बीमित व्यक्ति के आश्रित/संतान प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवारों को केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) पोर्टल पर अलग से पंजीकरण करना होगा।

ईएसआईसी ने नियोक्ताओं, बीमित व्यक्तियों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और राज्य ईएसआई प्राधिकरणों सहित सभी हितधारकों से पात्र लाभार्थियों के बीच प्रवेश प्रक्रिया के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी प्रसारित करने की अपील की है। ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस अवसर के बारे में सूचित करें, कार्यस्थलों पर प्रवेश सूचना को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और ईएसआईसी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबरों के सत्यापन और अद्यतन में सहायता प्रदान करें। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी जागरूकता अभियान आयोजित करने और आवेदकों को समय पर आवेदन जमा करने और उनकी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है और श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल, बीमारी भत्ता, मातृत्व भत्ता, विकलांगता भत्ता और आश्रितों के भत्ते सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है। आईपी कोटा के वार्ड जैसी पहलों के माध्यम से, ईएसआईसी भारत के कार्यबल के कल्याण, सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रहा है।

पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और प्रवेश संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए, उम्मीदवार ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.gov.in और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पोर्टल www.mcc.nic.in पर जा सकते हैं।

****

पीके/केसी/एमके/एनजे

(Release ID: 2269249) Visitor Counter : 393

Read this release in: Bengali , Telugu , English , Gujarati , Urdu , Marathi , Bengali-TR , Tamil , Malayalam